Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XIV, Issue No. 2, January-2018, ISSN 2230-7540

भारत में सहकारिता उद्भव एवं विकास

Dr. Shakil Ahmad*

Department of Economics, New Colony, Khetari Muhalla, Arrah, Bihar

***सार** – सहकारिता का सिद्धान्त उतना ही प्राचीन है जितना कि मानवता का। इसे पिछली शताब्दी का एक आर्थिक चमत्कार माना गया है। सहकारिता एक व्यापक शब्द है। जीवन का कोई भी क्षेत्र, चाहे वह परिवार हो अथवा संस्था, समाज हो अथवा देश, सहकारिता के अभाव में चल नहीं सकेगा। किसी भी देश का सामाजिक, बौद्धिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के निवासियों में पारस्परिक सहयोग कितना है।*

---------------------------------X---------------------------------

प्रस्तावना

अर्थ एवं परिभाषा

सामान्यतः सहकारिता का अर्थ है एक तरह से रहना, सोचना एवं कार्य करना। मानव में यह भाव प्राचीन काल से ही विद्यमान था। आखेट युग से आधुनिक काल तक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्र में हुआ मानव का उत्थान व विकास एक तरह की सोच, कार्य और रहन-सहन का ही परिणाम है। सहकारिता का सिद्धान्त, सम्पूर्ण सामाजिकता एवं पारस्परिक सहयोग का सिद्धान्त है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार मानव विकास में स्पर्धामय, संघर्षमय जीवन की अपेक्षा सहकारिता ने अधिक सहयोग दिया है।

सहकारिता का संगठन स्वैच्छिक होता है। यह निःस्वार्थ भाव से एक सबके लिये तथा सब एक के लिये के सिद्धान्त पर आधारित होता है। संक्षेप में सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है जो समानता, स्वसहायता तथा प्रजातान्त्रिक ढंग के आधार पर अपने सामूहिक हित के लिए कार्य करता है।

सहकारिता आन्दोलन का उदय विभिन्न देशों में, विभिन्न समयों पर, विभिन्न परिस्थितियों में एवं विभिन्न उद्देश्यों से हुआ, इसलिए इस शब्द की एकल एवं सुस्पष्ट परिभाषा देना कठिन है। सहकारिता के अनेक अर्थ हैं। समाजशास्त्रियों की दृष्टि में यह एक सामाजिक-आर्थिक आन्दोलन समाजवादियों के लिए यह एक ऐसा सामाजिक ताना-बाना है जिसमें वर्ग संघर्ष नहीं है, अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में यह एक ऐसा व्यवसायिक संगठन है जिसमें दलालों के माध्यम से शोषण सम्भव नहीं है एवं कानूनविदों की दृष्टि में यह एक ऐसा संगठन है जिसमें इसके सदस्यों को विशेषाधिकार और सुविधाएं प्राप्त हैं।" परन्तु सहकारिता के उपरोक्त अर्थ अस्पष्ट हैं, जिसका कारण है सहकारी कार्य विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हुए हैं। इनका स्वरुप स्थानीय आवश्यकता के अनुरुप लोगों की समस्याओं से जुड़ा है।

सहकारिता की परिभाषाओं का अध्ययन करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ विद्वानों ने सहकारी समिति को परिभाषित किया है न कि सहकारिता को किन्तु फिर भी उन्हें सहकारिता की परिभाषाओं में सम्मिलित कर लिया जाता है। यह सर्वथा अनुचित है। एक सहकारी समिति सहकारिता आन्दोलन की एक इकाई है, इसे सहकारिता का पर्यायवाची मानना गलत होगा। सहकारिता की जो परिभाषाएं उपलब्ध हैं उन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, प्रथम वर्ग में सहकारिता के विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाएं हैं एवं दूसरे वर्ग में महत्वपूर्ण समितियों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाओं को रखा जा सकता है।

पाश्चात्य दृष्टिकोण

सर मैलकम डार्लिंग के अनुसार "सहकारिता एक व्यवस्था से बढ़कर भी कुछ है। यह एक भावना है जो लोगों के हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यह व्यवसाय में धार्मिक व्यवहार के समान है। यह आत्मनिर्भरता और सेवा का मूलमंत्र है।

एच. काल्वर्ट के अनुसार "सहकारिता संगठन का एक स्वरुप है जिसमें लोग स्वेच्छा से मानव की तरह, समानता के आधार

पर अपने स्वयं के आर्थिक हितों के प्रर्वतन के लिए संगठित होते हैं।

मैकलागन समिति ने सहकारिता की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार, ष्संक्षेप में सहकारिता का सिद्धान्त यह है कि अलग-अलग पड़े शक्तिहीन व्यक्ति अन्य लोगों से जुड़कर नैतिकता को विकसित कर, आपसी सहयोग प्राप्त कर सम्पन्न लोगों की भांति लाभ उठा सकें और अपनी योग्यता के अनुरुप अपना विकास कर सकें। संगठन शक्ति से इस प्रकार वे भौतिक उत्थान कर सकते हैं और संगठित कार्य से वह आत्मनिर्भर हो सकते हैं।[6] मारग्रेट डिग्बी का कथन है "सहकारिता ने उत्पादन, वितरण, बैंकिंग बीमा और विविध सेवाओं की एक ऐसी व्यवस्था की रचना की है जिसका संचालन सिर्फ समुदाय के लाभ के लिए किया जाता है और जिसमें व्यक्तिगत लाभ के तत्व का समावेश नहीं है।

सहकारिता की तीन मुख्य धाराएं हैं। इनमें से प्रथम है – "कोऑपरेटिव इन्टरप्राइज स्कूल" - इसके अन्तर्गत सहकारी संस्था एक ऐसा स्वतंत्र आर्थिक इकाइयों वाला संगठित व पूंजीबद्ध पथ पर चलाया गया स्वैच्छिक संगठन है, जो अपने सदस्यों के लिए बाजारी वस्तुओं व सेवाओं को मूल मूल्य पर मुहैय्या कराता है। इस धारा के प्रमुख समर्थक है हास, रैफीसन और होरेंस प्लेकेटा। द्वितीय धारा का नाम है "द कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ स्कूल"। इस धारा का दर्शन यह है कि अपने सदस्यों की आर्थिक दशा सुधारी जाए- साथ ही अपनी सीमा में स्पर्धात्मक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर पारस्परिक सहयोग को लाया जाये। इस धारा के लोगों को 18वीं सदी के समाजवाद, विशेषकर "क्रिश्चियन सोशलिस्ट" और "चैरिटिस्ट" आन्दोलन से शक्ति प्राप्त हुई। जिन व्यक्तियों ने इस धारा को प्रभावित किया वे थे रॉबर्ट ओवेन, सेन्ट साइमन, चार्ल्स कोरवियर, लुई ब्लॉक, चार्ल्स गाइड, फर्डीनेन्ड लैसेकट आदि। यह विचारधारा आज भी उपभोक्ता सहकारी समितियों में व्याप्त है और विकासशील देशों ने अपना रखी है। तीसरी धारा का नाम है- "द सोशलिस्ट कोऑपरेटिव स्कूल"। इस धारा के लोगों का मानना है कि सहकारिता आन्दोलन समाजवादी उत्थान का साधन है। यह सिद्धान्त मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों पर आधारित है।

पूर्वी दृष्टिकोण

भारत में अतीतकाल से ही विश्व बन्धुत्व, सहकारिता और संगठन का समर्थन किया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी कहा गया है आप लोगों के अभिप्रायों में, विचारों में, हृदयों में भी एकता होनी चाहिए जिससे आपके संघ, समिति व समुदाय उन्नति कर सकें। तक्षशिला तथा नालन्दा का इतिहास, पतंजलि, गौतम, कणाद एवं वशिष्ठ आदि ऋषियों की आश्रम संस्थाएं, संयुक्त परिवार प्रणाली, ग्रामों में पंचायत की क्रियाशीलता तथा उनकी कार्यप्रणाली में निरन्तर प्रवाहमान सहकारिता की विधि इस महान विचार के प्रतीक हैं। एक भारतीय विद्वान ने सहकारिता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सहकारिता वह मुख्यधारा है जिस पर आधुनिक सभ्यता निर्भर करती है। मानव कार्य का यह एक मुख्य आधार है तथा समाजरुपी शरीर को स्वच्छ बनाता है। इस तरह यह मानव जीवन में रुधिर की भांति हैं।

सहकारिता पूंजीवाद और समाजवाद के मध्य एक स्वर्ण मध्यमार्ग है जो समाजवाद एवं पूंजीवाद दोनों के दोषों को तो दूर करता ही है, साथ ही दोनों के गुणों का भी समावेश करता है। यह व्यक्तियों की स्वेच्छा पर आधारित है और उन्हें आत्मसहायता का पाठ पढ़ाता है। निष्कर्षतः सहकारिता का मूल इसके व्यवहार में निहित है न कि सिद्धान्त में। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सहकारिता के सिद्धान्तों को मानने वाले विभिन्न समूहों में एकरुपता नहीं आ पा रही है। इस एकरूपता को लाने की आवश्यकता है।

सामान्यतरू सहकारिता की तुलना आर्थिक संगठनों के अन्य स्वरुपों से जैसे पूंजीवाद, समाजवाद व साम्यवाद से की जाती है। इससे सहकारिता को एक आन्दोलन के रुप में समझने में सरलता होती है, जो प्रतियोगिता पर आधारित समाज के स्थान पर पारस्परिक सहयोग पर आधारित समाज की रचना करना चाहती है।

पूंजीवाद का आधार प्रतिस्पर्धा है। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व और उनका केवल निजी लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। इस से श्रम और पूंजी में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहती है तथा आर्थिक मामलों में सरकार की गैर-हस्तक्षेप की नीति पायी जाती है।

इसके विपरीत समाजवाद वह अर्थव्यवस्था है जहाँ समाज के उत्पादन के समस्त साधनों का स्वामित्व, संचालन और वितरण राज्य द्वारा किया जाता हो।

इसमें व्यक्तियों को योग्यतानुसार पारिश्रमिक की प्राप्ति होती है तथा समस्त व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर उपलब्ध होते हैं।

सहकारिता पूंजीवाद एवं समाजवाद के विपरीत एक मध्यम मार्ग है जिसका उद्देश्य न तो पूंजीवाद को समाप्त करना है और न ही इसे स्वीकार करना। कुछ विद्वानों का विचार है कि सहकारिता समाजवादी समाज की ओर बढ़ाया जाने वाला कदम है। जोसेफ रीव्स के मतानुसार सहकारिता समाजवाद का सृजन स्थल है। वास्तव में समाजवाद का आगमन सहकारिता की सड़क से ही संभव है।" साम्यवाद पूंजी का स्वामित्व और

www.ignited.in

नियन्त्रण राज्य के हाथ में देना चाहता है। यह व्यक्तिगत धन और व्यापार को समाप्त करता है। परन्तु सहकारिता की अर्थव्यवस्था इसे स्वीकार नहीं करती। सहकारिता पूंजी और व्यक्तिगत धन को स्वीकार तो करती है लेकिन इसको अहम् भूमिका नहीं सौंपती। इसके अतिरिक्त सहकारिता स्वैच्छिक प्रयास तथा आपसी सहायता पर निर्भर है। सहकारिता मूल रुप से प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है और इसके कार्य मूलतः सरकारी नहीं होते। जैसे ही सहकारिता का सरकारीकरण हो जाता है, इसका मूल चरित्र समाप्त हो जाता है। इसका दर्शन प्रजातन्त्रवाद तथा आर्थिक कार्य विकेन्द्रीकरण पर आधारित है।

हैरोल्ड लास्की ने ठीक ही कहा है: “सहकारिता का मूल है यह दर्शन कि एक न्यायपूर्ण एंव मानवीय समाज की रचना लाभ प्राप्ति को आधार बनाकर नहीं की जा सकती। मेरा सोचना है कि सहकारिता और पूंजीवाद में कोई मैत्री हो ही नहीं सकती, जहाँ एक संस्था आदमी द्वारा आदमी के शोषण की समाप्ति की बात करती है, वहीं दूसरी संस्था की नींव ही शोषण पर स्थापित है, एक ही विश्व में दोनों सिद्धान्तों का साथ-साथ स्थान नहीं है।

सहकारिता देश और विदेश में

विश्व के विभिन्न भागों में सहकारिता का उदय भिन्न-भिन्न कारणों से हुआ। अधिकांश पश्चिमी देशों में सहकारिता आन्दोलन का उदय जटिलता के परिवर्तनशील दर्जे की स्वाभाविक एवं सहायताहीन प्रतिक्रियास्वरुप हुआ। मार्गेट डिग्बी के अनुसार जहाँ तक विदेशों का सम्बन्ध है, नगरीय सहकारिता का

उदाहरणों से स्पष्ट तो नहीं प्राप्त होता, परन्तु यूनानी एवं रोमन काल के प्राचीन नगरों में “शव संस्कार सभा” एवं आपसी बीमा संगठनों की चर्चा आती है। रुस में मजदूरों के संगठन तथा रुसी सहकारी संघों की भी सूचना मिलती है, जो वर्तमान उपभोक्ता सहकारी समिति की भाँति कार्य करते थे, परन्तु ट्रेड यूनियनों की भांति नही। कम विशिष्ट तरह की सहकारिता से प्राचीन काल में ग्रामीण समाज को संगठित बनाये रखने में सहायता मिलती थी। विशेषतः स्लाव देशों जहाँ रुसी मीर या सर्बिया का जद्रुगा आपसी मैत्री और पड़ोसपन पर आधारित एक आर्थिक और सामाजिक इकाई था। यहाँ तक कि व्यापारिक उद्देश्य हेतु सहकारिता की संकल्पना अति प्राचीन है। मध्ययुग में फ्रांस और स्विस आल्पस में ढेरों पनीर बनाने की परम्परा थी जिससे प्राप्त मूल्य गाँव वालों में उनकी गायों की संख्या के आधार पर बाँट दिया जाता था।

भारत में सहकारिता आन्दोलन का उदय 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में विप्लव एवं अशांति के फलस्वरूप और औद्योगिक क्रान्ति के प्रत्यक्ष प्रभाव के रुप में कार्यान्वित हुआ। सहकारिता का सिद्धान्त भारत के लिए कोई नया नहीं है। हमारे प्राचीन आश्रमों में अध्यापन का सारा कार्य सहकारिता पर आधारित था। विद्यार्थी स्वावलम्बी, अनुशासित एवं सहकारी विचार से ओत-प्रोत हो जाते थे तथा पारस्परिक सहायता एवं आत्मयोग के सिद्धान्त को सामाजिक जीवन में चरितार्थ करते थे।

इन्हें परम्परागत सहकारिता का रुप कहा जा सकता है। संयुक्त परिवार प्रणाली सहकारी समिति का ही एक पूर्व रुप था। इसमें सहकारिता के मौलिक सिद्धान्तों का पालन किया जाता था। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता के व्यक्तिवाद ने इस अनूठी संस्था की जड़ें खोखली कर दी। इस प्रथा के अन्तर्गत भूमि तथा कृषि पर सामूहिक स्वामित्व होता था तथा सभी व्यय सामूहिक आय से किए जाते थे। यह संस्था भाई-चारे एवं आपसी सहयोग पर आधारित थी।

हमारे देश में प्राचीन काल में ही सहकारिता को सुदृढ़ और सुसज्जित रुप प्राप्त हो चुका था एवं देश भर के ग्रामों तथा नगरों में आर्थिक और राजनैतिक स्वतन्त्रता की इकाइयां, पंचायतें स्थापित हो चुकी थीं। इन पंचायतों में सहकारिता के सम्पूर्ण तत्व विद्यमान रहा करते थे। रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने ठीक ही लिखा है कि सिंहासन की इनको चिंता नही होती थी। राज्य बदलते रहते लेकिन लोग वैसे के वैसे ही रहते थे। किसानों और चरवाहों के पारस्परिक सहायता संघ कार्यरत थे। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने इस क्रियाशील संस्था को अपनी विभाजन की नीति से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। दक्षिणी भारत में चिट फंड होते थे जिनका आधार आपसी सहयोग होता था। इस व्यवस्था में कई लोग एकसाथ एकत्र होकर एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह एक निश्चित समय के लिए जमा करते थे। प्रतिमाह जब धन जमा होता था तब लाटरी निकाली जाती थी। यहाँ चिट फंड प्रथा आपसी विश्वास एवं ईमानदारी पर आधारित थी जो सहकारिता का एक मुख्य तत्व है।

दक्षिण भारत में प्रचलित ‘निधि प्रथा’ एक आपसी साख का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रथा में इसका प्रत्येक सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा करता था। जो एक निश्चित काल के बाद लाभांश सहित उस सदस्य को वापस कर दिया जाता था। निश्चित कालावधि के उपरान्त प्राप्त धन सदस्यों के बीच आय प्राप्त करने हेतु मतदान के आधार पर या अन्य किसी विधि से बाँट दिया जाता था।

सहकारी संगठन की विशेषताएं सहकारी संगठन की चार विशेषताएं बतायी जाती हैं

1. यह आत्मनियंत्रित कार्य पर आधारित स्वसहायता के विचार पर बल देते हुए स्वतन्त्र लोगों का एक संगठन है। इस संगठन का कार्य स्वैच्छिक है, और समानता पर आधारित है।

2. व्यापार के माध्यम से यह संगठन आर्थिक लाभ में जुटता है।

3. यह किसी वर्ग विशेष की ओर दृष्टि रखकर कार्य नहीं करता बल्कि निःस्वार्थ भाव से जो आर्थिक कार्य करता है, वह सबके लिए होता है। इसका आदर्श है: प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए।

सहकारिता का महत्व

संसार में प्रचलित विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पूंजीवाद, समाजवाद आदि में दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्याओं के कारण सहकारिता का महत्व अधिक होता जा रहा है। श्रम के शोषण तथा वर्ग संघर्ष को समाप्त करने में सहकारिता ही एक मात्र व्यवस्था के रुप में स्थान ले सकती है। सहकारिता आन्दोलन पारस्परिक सहयोग एवं लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। इसलिए लोगों में इसके प्रति आस्था निरन्तर बढ़ती जा रही है। यह एकमेव व्यवस्था है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की पर्ति एक साथ करती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति को रखते हुए भी स्वार्थ को तिलांजलि देने में सहकारिता के योगदान के बिना किसी अन्य उपाय से सम्भव नहीं था।

सहकारिता के महत्व निम्नांकित हैं

मानवीय मूल्यों पर बल

सहकारिता सामाजिक और नैतिक तत्वों से अलग हुए बिना व्यक्ति की सम्पूर्णता पर ध्यान देती है। यह सदैव मानवीय मूल्यों पर बल देती है। इस दृष्टि से सहकारिता दर्शन का अत्यधिक महत्व है।

पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का मार्ग

पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच का पथ है। सर्वहित का भाव बनाये रखते हुए सहकारिता सामूहिक कार्यशैली को प्रधानता प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में यह समाज विरोधी बुराइयों जैसे-लालच, स्वार्थ, व्यक्तिगत छीना-झपटी आदि पर अंकुश लगाकर एकरूपता, प्रगति और प्रजातांत्रिक प्रवृति को प्रोत्साहित करती है।

समानता और प्रजातांत्रिक स्वतन्त्रता पर आधारित संस्था

केवल सहकारिता ही ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होता है। इस प्रणाली में किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय का स्वयं चुनाव करता है। सहकारिता में समस्त व्यक्तियों को उत्पादन, वितरण और उपभोग के समान अधिकार प्राप्त होते हैं।

सभी के लिए न्याय

भूमि, श्रम, पूंजी, उपभोग सभी का सहकारिता में समुचित स्थान है। उत्पादन में कार्यक्षमता का साथ समानता और ईमानदारी देती है। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों प्रसन्न रहते है। सहकारिता से ही आर्थिक व्यवस्था समुचित रुप ग्रहण करती है। इसके अन्तर्गत उत्पादन में सभी की समान भागीदारी होती है। अतिरिक्त लाभ आनुपातिक प्रणाली से पूंजी, श्रम तथा उपभोक्ता के बीच बांट दिया जाता है। जहाँ पूंजीवाद और साम्यवाद से बेईमानी और अन्याय की गन्ध आती है वहीं सहकारिता सभी के लिए न्याय की पक्षधर है।

गन्तव्य के लिए सामूहिक प्रयास

सहकारिता का अर्थ है सामूहिक रुप से गन्तव्य की ओर चलने का प्रयास। यह सामूहिक प्रयास समूह के हित के लिये ही होना चाहिए। यह ठीक ही कहा गया है कि एक भवन की रचना में सीमेंट और गारे में जो स्थान ईट का है वही स्थान आर्थिक भवन की रचना में सहकारिता का है। जैसे कारीगर मसाला लगाकर ईट जोड़कर एक शक्तिशाली आधार तैयार करता है उसी तरह सहकारिता सामाजिक ढांचे को संगठित करती हैं।

सहकारिता क जीवन शैली

हमारे शरीर के विभिन्न अवयव सामूहिक रुप से मिल-जुलकर कार्य कर इसे जीवन्त बनाते हैं। आंखें देखती हैं, तो पैर चलते हैं और हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। परन्तु यदि शरीर के सारे अंग असहयोग करना प्रारंभ कर दें तो हमें लकवा मार जायेगा। कुमारप्पा के अनुसार, "सहकारिता मात्र एक कार्य शैली ही नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। इसलिए इसमें त्यागमय उत्साह की आवश्यकता है तथा एकता पूर्ण उद्देश्य से कार्य को व्यवहार में लाना है।

साख सहकारिता

अपने सरल संगठन एवं प्रबन्ध में सुगमता के कारण साख के क्षेत्र में सहकारिता के सिद्धान्तों का सरलता से प्रयोग किया जा

सकता है। इसी कारण सहकारिता का आरम्भ साख के रूप में ही किया गया।

सहकारी साख को जन्म देने का श्रेय जर्मनी के रेफीसन महोदय को प्राप्त है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के लिए सहकारी साख की नींव डाली। इसी प्रकार शुल्ज महोदय ने नगरों में रहने वाले छोटे-छोटे शिल्पियों एवं श्रमिकों के लाभार्थ साख समितियां स्थापित की। इस प्रकार इन दोनों ने पृथक-पृथक क्षेत्र में साख समितियों की स्थापना लगभग एक साथ की।

उपभोक्ता सहकारिता

फुटकर व्यापार में सहकारिता अथवा उपभोक्ता सहकारिता, सहकारिता का एक अन्य सरलतम एवं सफल रूप है। इन समितियों में अनेक व्यक्ति एक साथ मिलकर कोष एकत्र करते हैं, वस्तुओं को थोक मूल्य पर क्रय करते हैं तथा उन्हें अपने बीच उचित मूल्य पर वितरित कर लेते हैं। रोशडेल के अग्रगामियों ने आधुनिक उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन की आधारशिला रखी। टोडलेन में सन् 1844 में एक उपभोक्ता भण्डार की सफलतापूर्वक स्थापना करके आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने एक नयी क्रान्ति का सूत्रपात किया। अधिकांश देशों में पहले उपभोक्ता सहकारिता का पदार्पण हुआ। केवल भारत इसका अपवाद है जहाँ पहले ग्रामीण साख समितियों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी, किन्तु फिर भी जब उपभोक्ता सहकारिताओं का गठन प्रारम्भ हुआ तो उनकी प्रेरणा के स्त्रोत वही सिद्धान्त थे जिनका प्रतिपादन रोशडेल के 28 जुलाहों ने किया था।

उत्पादकों की सहकारिता

कुछ विद्वानों का यह विचार रहा है कि सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति तभी करती है जब वस्तुओं के उत्पादन से लेकर वितरण तक सभी क्रियाएं सहकारी क्षेत्र में सम्पन्न की जाएं। उत्पादन के क्षेत्र में सहकारी समितियों को पुनः चार भागों में उपविभाजित किया जा सकता है औद्योगिक सहकारिता

इसका उद्देश्य पूंजीपतियों से श्रमिकों को छुटकारा दिलाना होता है। इसमें श्रमिक परस्पर एकत्रित होकर आवश्यक पूंजी एकत्र करते हैं। उनके पास उनकी मशीनें तथा औजार होते हैं। थोक पर कच्चा माल क्रय करके ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तथा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेचकर लाभ कमाते हैं। इस प्रकार वे नियोक्ता व कर्मचारी दोनों होते हैं।

प्रक्रियात्मक सहकारिता

इसके अन्तर्गत कृषि वस्तुओं की प्रक्रिया अथवा विधायन किया जाता है जिससे कुछ मध्यस्थों को कम किया जा सके और किसानों को कृषि उपज के अच्छे मूल्य दिलाये जा सकें। सहकारी चीनी मिलें, चावल मिलें आदि इस क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं।

खेती सहकारिता

कृषि क्षेत्र में सहकारिता को सर्वाधिक सफलता रूस में प्राप्त हुई है। यहाँ पर ‘सामूहिक खेती’ अत्यधिक सफल रही है। इससे कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा वहाँ के किसानों के आर्थिक, सामाजिक व कृषि सम्बन्धी विकास को बल देकर उनके रहन-सहन के स्तर में वृद्धि की गयी। अन्य देशों में भी वहाँ की आवश्यकतानुसार सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया गया है।

विपणन सहकारिता

उत्पादन के उपरान्त उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या आती है। निजी विपणन व्यवस्था जो आज विश्व के अनेक देशों में प्रचलित हैं, निजी लाभ पर आधारित हैं और इस कारण अनेक दोषों तथा जटिलताओं से परिपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में यह समस्या अधिक जटिल है क्योंकि इसमें विपणन में भाग लेने वाले मध्यस्थों की संख्या बहुत अधिक होती है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले और कृषक द्वारा प्राप्त किये जाने वाले मूल्यों में बहुत अंतर होता है। सहकारी विपणन इस कुव्यवस्था को तो दूर करती ही है साथ ही उत्पादक विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती है।

उपरोक्त प्रकारों के अतिरिक्त सहकारिता समितियों को ग्रामीण व नगरीय, रजिस्टर्ड व गैर-रजिस्टर्ड, सीमित तथा असीमित दायित्वों वाली समितियों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार सहकारिता समितियों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है।

भारत में सहकारी संस्थाओं की उपयोगिता

शताब्दियों से दासता की श्रृंखला में आबद्ध रहने के कारण हमारी दशा जर्जर हो गई। यहाँ निर्धन दिन-प्रतिदिन निर्धन और धनी दिन दूनी रात चैगुनी प्रगति करने लगा। परिणाम यह हुआ कि यहाँ की अधिकांश जनता को निर्धनता की रेखा से भी नीचे जीवन-यापन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गाँव में निवास करता

www.ignited.in

है। अतः सहकारी संस्थाएं सर्वप्रथम वहीं सक्रिय हुई। गाँवों में शिक्षा नहीं के बराबर थी। अतः सबसे पहले ग्रामीणों को विश्वास में लेना पड़ा। सहकारी संस्थाएं स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा गठित और संचालित भी होती हैं। स्थानीय प्रतिनिधि उनकी समस्याओं से परिचित होता है। सहकारी प्रयास से समाज के प्रत्येक वर्ग की आर्थिक दशा में सुधार लाया जा सकता है। इस सन्दर्भ में कतिपय सहकारी संस्थाओं की भूमिका का विवेचन आवश्यक है जो अधोलिखित है

अध्ययन के उदेश्श्य

1. भारत में सहकारिता उद्भव एवं विकास
2. सहकारिता के महत्व निम्नांकित हैं

उपसंहार

सहकारिता आन्दोलन का अनेक चरणों में क्रमिक विकास अनेक प्रवृत्तियों को सामने लाता है। प्रस्तुत शोध के आधार पर भारत में सहकारिता के विकास को दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है - प्रथम, स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व सहकारिता का उद्भव एवं विकास। द्वितीय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सहकारिता का विकास।

1947 तक भारत में सहकारी नीति समन्वित आर्थिक विकास अथवा किसी सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की ओर निर्देशित नहीं थी जिसमें सहकारिता सहायक सिद्ध होती। सहकारिता नीति का सम्बन्ध केवल अधिनियम बनाने, एक उपयुक्त संगठनात्मक ढाँचा प्रदान करने तथा सहकारी समितियों के निर्माण तक ही सीमित था। एक विदेशी सरकार से इससे अधिक आशा भी नहीं की जा सकती थी। इसी संदर्भ में 1946 में सहकारी नियोजन कमेटी ने यह बताया कि सहकारी विकास की अपर्याप्तता के प्रमुख कारणों में सरकारों की तटस्थता की नीति रही है। किन्तु स्वतंत्र भारत में सहकारिता के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस कमेटी के अनुसार, “आर्थिक नियोजन के लोकतंत्रीकरण का सहकारी समितियां सबसे उपयुक्त माध्यम हैं।” अतः इसमें उनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। स्थानीय इकाइयों को उनका दुहरा लाभ होगा, वे एक ओर योजना के पक्ष में लोकमत तैयार करेंगी और दूसरी ओर उसे कार्यान्वित भी करेंगी।

संदर्भ

[1] एश्ले मान्टेग, ऑन बीइंग ह्यूमन, न्यूयार्क, 1950, पृ. 43

[2] सहकारिता विशेषांक, अक्टूबर-नवम्बर, 1997 (स्वर्ण जयंती वर्ष) पृ. 53

[3] के. आर. कुलकर्णी, थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ कोऑपरेशन इन इण्डिया एण्ड एब्रॉड, भाग-1 बम्बई, 1958, पृ.11

[4] एम. एल. डार्लिंग, द पंजाब पीजेंट इन प्रॉसपेरिटि एण्ड डेट, 1932

[5] एच. काल्वर्ट, लॉ एण्ड प्रैक्टिस ऑफ कोऑपरेशन, कलकत्ता, 1964, पृ011

[6] मैकलागन कमेटी रिपोर्ट ऑन कोऑपरेशन इन इण्डिया, 1915, पृ02

[7] मारग्रेट डिग्बी, द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट, लंदन, 1960, पृ02

[8] समानी व आकूती, समाना हृदयनिवः। समानमस्तु वो मनो, यथावः सुसहासति।। (अथर्ववेद 10/191/8-5)

[9] के. के. सक्सेना, इवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव थॉट, नयी दिल्ली, 1974, पृ०

[10] सी.बी. ममोरिया एण्ड आर. डी. सक्सेना, कोऑपरेटिज्म इन फॉरेन लैण्डस, इलाहाबाद, 1957, पृ.10 से उद्धृत

[11] हैरोल्ड जे. लास्की, द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशनय सी. बी. ममोरिया एण्ड आर. डी. सक्सेना, कोऑपरेशन इन इण्डिया, इलाहाबाद, 1960 से उद्धृत

[12] माग्रेट डिग्बी, द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मूवमेंट, लंदन, 1960, पृ.83

Corresponding Author

Dr. Shakil Ahmad*

Department of Economics, New Colony, Khetari Muhalla, Arrah, Bihar